न्यायालय अति. जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री वीरेन्द्र सिंह चौधरी आर.ए.एस.

Signature Not Verified
Digitally signed by Virendra Singh Choudhary
Date: 2021.01.28 11:48:23 IST
Reason: SelfAttested

रसद विविध :: 277/2018
आर.सी.एम.एस. नम्बर :: 18/382 ::

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीः–
सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, रानी		श्री बस्तीराम पुत्र गोपीलाल, निवासी मालियों का बास, सोजत रोड़, हाल मालिक मै. अन्नपूर्णा होटल, सोजत रोड़, जिला पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित
अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश टाक अनुपस्थित

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक : 12/12/19

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध उनकी फर्म मै. अन्नपूर्णा होटल, सोजत रोड़ जिला पाली (राज.) वक्त निरीक्षण दिनांक 10.07.2018 को मौके पर 2 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर (उपदर्शित मानक क्षमता 19.000 किग्रा) आईओसीएल कम्पनी का जो क्रमशः 19.300 एवं 19.000 किग्रा गैस से भरे हुई का अवैध संग्रहण किए जाने पर जब्त कर राज्यसात करने हेतु पेश किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद तामील नोटिस के असालतन एवं वकालतन अनुपस्थित रहने से बहस प्रार्थी सुनी गई व पत्रावली का गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया।

प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि दिनांक 10.07.2018 को घरेलू एवं व्यावसायिक गैस सिलेण्डर की कालाबाजारी की रोकथाम हेतु जिला रसद अधिकारी श्री प्रमोद सीरवी (प्रशिक्षु आर.ए.एस.) के साथ सोजत रोड़ स्थित मैसर्स अन्नपूर्णा होटल, सोजत रोड़ जिला पाली (राज.) पर पहुचें। मौके पर अप्रार्थी श्री बस्तीराम पुत्र गोपीलाल उपस्थित मिला व उसने बताया कि वह स्वयं फर्म का मालिक है। प्रार्थी ने मौके पर रूबरू मौतबिरान श्री डाउसिंह एवं श्री गणेशसिंह की उपस्थिति में फर्म की जांच करने पर 4 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर (उपदर्शित मानक क्षमता 19.000 किग्रा) आईओसीएल कम्पनी के पाये गये, जिनके बारे में पुछताछ करने पर उन्होंने प्रतिष्ठान के नाम दो विधिक व्यावसायिक गैस सिलेण्डर का कनेक्शन होना बताया व दस्तावेज पेश किए तथा दो गैस सिलेण्डर जो क्रमशः 19.300 एवं 19.000 किग्रा गैस से भरे हुए थे, उनसे संबंधित विधिक दस्तावेज अप्रार्थी से मांगने पर गैस सिलेण्डर संग्रहण करने से संबंधित किसी प्रकार के वैद्य दस्तावेज नहीं पाये गए न ही अप्रार्थी ने कोई गैस कनेक्शन होना जाहिर किया। अप्रार्थी द्वारा वैद्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए जाने पर प्रार्थी ने मैसर्स सोजत गैस सर्विस, सोजत के के प्रतिनिधी से उपरोक्त जब्तसुदा सिलेण्डरों का तौल हैंगिंग स्केल मंगवा कर करवाया गया तथा इस प्रकार व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों का अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग में लेते हुए एवं संग्रहण करते हुए पाए जाने के फलस्वरूप द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश 2000 के क्लोज 3 ए.सी. की अवहेलना करने पर उपरोक्त सामग्री को जब्त कर वजह सबूत कब्जे में लेकर अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु श्री पदमचंद टॉक पुत्र सोहनलाल टॉक, निवासी धोलीवाडा के पास, सोजत सिटी हाल मैसर्स सोजत गैस सर्विस, सोजत को सुपुर्दगीनामे पर दिये गये। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त गैस सिलेण्डरो को बिना वैध परमिट के संग्रहण कर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश, 2000 के क्लोज 3 ए, सी की अवहेलना की है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अर्न्तगत दण्डनीय अपराध है। अतः निवेदन है कि जब्तसुदा दो व्यावसायिक गैस सिलेण्डर को राज्यसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करावे।

अति. जिला कलेक्टर, पाली

अप्रार्थी ने अपने जवाब में उल्लेख किया कि अप्रार्थी के दो प्रतिष्ठान है तथा दोनों ही प्रतिष्ठानों की अलग–अलग गैस कनेक्शन ले रखे है। जो एक अप्रार्थी के नाम से तथा दुसरा उसके भाई के नाम से [illegible] है तथा [illegible] कनेक्शन के साथ एक–एक अतिरिक्त टंकिया जारी हो रखी है। अप्रार्थी के [illegible] वक्त जांच एक ही डायरी थी दूसरी डायरी नहीं थी, इस कारण डायरी के [illegible] नहीं करा पाया। उक्त डायरी की प्रति जवाब के संलग्न पेश है। अतः निवेदन है कि अप्रार्थी के विरूद्ध की गई कार्यवाही ड्रॉप फरमाते हुए, जब्तसुदा गैस सिलेण्डर दिराने के आदेश प्रदान करावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Virendra Singh Choudhary
Date: 2021.01.28 11:48:23 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। अप्रार्थी के जवाब एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी ने जैर प्रार्थना पत्र जब्तसुदा 2 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर (उपदर्शित मानक क्षमता 19.000 किग्रा) आईओसीएल कम्पनी का जो क्रमशः 19.300 एवं 19.000 किग्रा गैस से भरे हुए, उनके व्यावसायिक परिसर मैसर्स अन्नपूर्णा होटल सोजत रोड़, जिला पाली में पाये गये। प्रार्थी को अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से 4 व्यावसायिक गैस के सिलेण्डर प्राप्त हुए है, जिनमें से दो गैस सिलेण्डर के विधिक दस्तावेज तो अप्रार्थी के पास थे, लेकिन दो सिलेण्डर के संबंध में अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का अनुज्ञा पत्र एवं गैस कनेक्शन संबंधी वैध दस्तावेज निरीक्षणकर्ता प्रार्थी के समक्ष वक्त निरीक्षण पेश नहीं किए गए। अप्रार्थी ने अपने जवाब में उल्लेख किया कि उनके दो प्रतिष्ठान है तथा दोनों के ही अलग–अलग व्यावसायिक गैस कनेक्शन जारी हो रख है तथा दूसरे कनेक्शन की डायरी की प्रति भी पेश की है, लेकिन उक्त डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि गैस कनेक्शन उसके भाई के नाम जारी है, न की व्यावसायिक प्रतिष्ठान के नाम का तथा जिस व्यक्ति के नाम कनेक्शन है तथा जिस स्थान का पता डायरी में है, तो उस व्यक्ति के नाम जारी गैस कनेक्शन के सिलेण्डर उसी स्थान पर होने चाहिए, न की किसी दुसरे प्रतिष्ठान में, अगर किसी दूसरे प्रतिष्ठान में गैस सिलेण्डर पाये जाते है तो यह विधि विरूद्ध कृत्य है। जिससे स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी की दूकान से प्राप्त सिलेण्डर उसके स्वयं के नहीं थे तथा वह उनका विधि विरूद्ध उपयोग कर रहा था। ऐसी परिस्थिति में यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी श्री बस्तीराम द्वारा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश 2000 के क्लोज 3 ए.सी. की अवहेलना किए जाने से व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों को राज्यसात (Confiscate) किया जाना न्यायोचित पाते हैं।

परिणामस्वरुप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी द्वारा अपने प्रतिष्ठान पर व्यावसायिक गैस सिलेण्डरो का अवैध संग्रहण किए जाने पर 2 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर (उपदर्शित मानक क्षमता 19.000 किग्रा) आईओसीएल कम्पनी का जो क्रमशः 19.300 एवं 19.000 किग्रा गैस भरे हुए पाये गए को राज्यसात (Confiscate) किया जाता हैं। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी, पाली को प्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि जब्त सुदा व्यावसायिक गैस सिलेण्डर को मय गैस संबंधित कम्पनी में जमा करवाकर उससे प्राप्त राशि को राजकीय कोष में जमा कर पालना रिपोर्ट भिजवावें।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 12/12/19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
अति. जिला कलेक्टर, पाली